

राजस्थान सरकार



निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

क्रमांक:- प.4(2)/सीआरएस/एसआईपीएफ/लोक सेवा. गारन्टी एमपीआर/2024 2592

दिनांक:- 11/12/2024

अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
मुख्यालय, जयपुर।

विषय:- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के मासिक प्रतिवेदन माह नवम्बर 2024 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी जिलों के राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के मासिक प्रतिवेदन विवरण की सूचना निम्न प्रकार है:-

क्र.स.	अपीलार्थी का नाम व पता	प्रथम अपील करने की तारीख	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम (कार्यालय के नाम के साथ) जिसके आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई है।	प्रथम अपील के निपटान के लिये नियत समय सीमा की अंतिम तारीख	अपील आदेश की तारीख और ब्यौरे
1	2	3	4	5	6
शून्य					

भवदीय

अतिरिक्त निदेशक (शिकायत निवारण)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
मुख्यालय, जयपुर

RajKaj Ref
12356279



Signature valid

Digitally signed by Vishwas Pareek
Designation: Additional Director
Date: 2024.12.10 12:00:06 IST
Reason: Approved